न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी गढ़वाल

फौ0 वाद सं0 819 सन् 2022

राज्य बनाम उम्मेद भण्डारी

दिनॉक 20.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत। अभियुक्त जिला कारागार चमोली से जरिये अभिरक्षा पेश किया गया। गवाह/विवेचक उपस्थित नहीं हुआ है। पैरोकार द्वारा अवगत कराया गया कि गवाह दबिश में जिला से बाहर गया हुआ है, इसलिए पेश नहीं हो पाया है।

बचाव पक्ष के वि0 अधिवक्ता की ओर से दौराने विवेचना विवेचक द्वारा तैयार किये गये दस्तावेजों की मौलिकता स्वीकार की गई है। मामले में तहरीरकर्ता व बरामदगी के गवाह परीक्षित कराये जा चुके हैं। विवेचना से सम्बन्धित दस्तावेजों की मौलिकता बचाव पक्ष द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त इस मामले में भी न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

अतः उपर्युक्त के आधार पर मामले की कार्यवाही अग्रसारित की जाती है।

अभियुक्त के बयान अं0/धारा 313 दं0प्र0सं0, 1973 अंकित किये गये।

अभियुक्त धारा 437 (ए) दं0प्र0सं0, 1973 के तहत ₹ 10,000 का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व इसी धनराशि के दो विश्वसनीय जमानती प्रस्तुत करे।

पत्रावली लन्च बाद बहस हेतु पेश हो।

दिनॉक 20.09.2024

(लक्ष्मण सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पौड़ी गढ़वाल।